

नांक आझा  
कार्यवाही

आझा विरत रूप से

11/13

पत्रावली पेश की जा रही है।  
अन्य राज्य कार्य में बाध है। अतः  
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13/11/23  
को पेश हों।

13/1/23

पत्रावली पेश की जा रही है।  
1. ला. 03 व 5 अप. नदी प्रति. सं. 1 ला. 03 व 5 के  
विरुद्ध एक तरफ कार्यवाही की जाती है। बाकी  
वहस 1-9. हेतु पत्रावली दि. 10/2/23 को पेश  
हो।  
(उप-उप-अधिकारी  
जयपुर (वि.जी.))

10/2/23

पत्रावली पेश हुई। वही ल-उप-अप.  
वहस 1-9. पत्रावली-अप. 1-7 हुनी  
हुई। मूलकाद में प्राथमिक डि. की  
परिण. जारी की गई है। अतः  
न्यायिक व वाद सुदृढ के  
अन्तर्गत उप-उप-अधिकारी को तापक  
मूलकाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के  
पाठ्य लिख जाकर पूर्व अस्थायी  
अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 12-02-23  
को मूलकाद के अंतिम निष्काप ल  
रखा है लिख जाता है। निष्काप नुमा  
पत्रावली पेश की जा रही है।  
वा. 1-9 के सम. है।  
मूलकाद के।  
(उप-उप-अधिकारी  
जयपुर (वि.जी.))



# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर (सांगानेर)

प्रार्थना पत्र संख्या 25/2021

प्रहलादी देवी पत्नी भगवानसहाय जाति छीपा निवासी  
सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण उर्फ तुलसीराम पुत्र स्व० मांगू जाति बाग
2. ब्राहमण
3. लादू पुत्र स्व० मांगू जाति बागडा ब्रहमण
4. बिदामी पुत्री स्व० मांगू जाति बागडा ब्रहमण
5. समस्त निवासीगण - ग्राम केश्यावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पता तहसील कार्यालय तहसील सांगानेर जयपुर
7. उप पंजीयक प्रथम सांगानेर पता - नगर निगम सांगानेर जयपुर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधि०

श्रीमानजी,

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार पेश है-

1. यह कि आज प्रार्थी वादी ने अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण विरुद्ध अस्थायी शीषकीय वाद पत्र ठोस व सुदृढ तथ्यो आधार पर श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जि प्रार्थी को सफलता प्राप्ति की पूर्ण आशा है।

प्रहलादी

